

20.10.2023—पत्रावली पेशी मे आई। वकील वादी अनुपस्थित। वादी व वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। वादी व उसके अधिवक्ता के उपस्थित नही आने के कारण वादपत्र वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफतर हो।

*Wang's*

सहायक कलेक्टर  
एवं उपखण्ड अधिकारी  
हनुमानगढ

